न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 92/2022

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
कनाराम पुत्र भूराराम कुम्हार निवासी ग्राम बेडा, तहसील बाली, जिला पाली		1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत बेडा, तहसील बाली, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राज़स्व अधिनियम 1956 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश जिला कलेक्टर पाली क्रमांकः एफ.12 (3)(27)राज./20/5008 दिनांक 08.10.2020

उपस्थित–
1. श्री सत्यनारायण राजपुरोहित वकील अपीलाण्ट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30.12.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलाट ने जिला कलेक्टर पाली द्वारा तहसील बाली स्थित ग्राम पंचायत बेडा चक 1, के खसरा नम्बर 1978 रकबा 0.60 हैक्टेयर, किस्म नहरी दोयम भूमि की किस्म खारीज कर सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करते हुए, ग्राम पंचायत बेडा को सार्वजनिक शमशान हेतु निःशुल्क आवंटन के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बाली के पत्रांकः एफ.12(3)राजराज./मोक्ष/2020/700 दिनांक 19.05.2020 द्वारा ग्राम बेडा चक 1, तहसील बाली के खसरा नम्बर 1978 रकबा 0.60 हैक्टेयर, किस्म नहरी दोयम भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करने की अभिशंषा के साथ प्रेषित किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत बेडा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.05.2019 एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है।

जिला कलेक्टर पाली द्वारा उक्त प्रस्ताव आवंटन की स्वीकृति हेतु संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राज0 जयपुर को जरिये पत्रांक 3883 दिनांक

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

02.09.2020 को प्रेषित किया गया। तदउपरांत राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के पत्र कमांकः प.6(267)राज–3/2020 जयपुर दिनांक 01.10.2020 से प्राप्त स्वीकृति की पालना में ग्राम बेडा चक 1 तहसील बाली के खसरा नम्बर 1978 रकबा 0.60 हैक्टेयर (संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार) किस्म नहरी दोयम भूमि की राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत किस्म खारिज कर सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करते हुए उक्त अधिनियम, 1956 की धारा 102क के तहत ग्राम पंचायत बेडा को सार्वजनिक शमशान हेतु निःशुल्क आवंटन किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि ग्राम बेडा, तहसील बाली के खसरा नं0 1978 रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट के पिता भूराराम पुत्र चैनाराम कुम्हार का पिछले 40 वर्षो से कब्जा था, जो खसरा परिवर्तनशील संवत् 2043 यानि वर्ष 1986–87 में दर्ज है। भूरा का देहान्त हो जाने के पश्चात उक्त भूमि पर अपीलांट उनके पुत्र के रूप में काबिज एवं कब्जा काश्त है। उक्त भूमि मौके पर सिंचित है एवं शिवनाथ सागर बांध से सिंचाई होती है। अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति है, उसके पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है। अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन न हो सके, मात्र इस कारण से ग्राम की पार्टीबाजी एवं सरपंच चुनाव में आपसी विवाद के कारण ग्राम पंचायत बेडा को उक्त भूमि का आवंटन करवाया गया है। जो कि पूर्णतया गलत व गैर कानूनी है। क्योंकि ग्राम बेडा के उल्लेखित खसरान की भूमि गांव से ढाई किलोमीटर दूर है, इसके बीच में काफी अन्य सरकारी भूमियां भी है। इसके अलावा ग्राम बेडा में बहुत बडा शमाशान पहले से ही है, इसलिए शमशान हेतु उक्त भूमि की आवश्यकता ही नही है व इतनी दूर शमशान बनाने का कोई औचित्य नही है। यह भूमि शमशान के लिए उपयोगी भी नही है, पूरा क्षेत्र नहरी कमाण्ड एरिया है। उक्त तथ्यों को अंकित करते हुए ग्रामवासी हिन्दुराम/समाराम कुम्हार, शिवलाल/जेठाराम घांची एवं कपुराराम/

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

लूम्बाराम (पूर्व जनप्रतिनिधी) द्वारा अपीलांट के पक्ष में शपथ पत्र दिये गये है। इसके अलावा उक्त भूमि पर अपीलांट 40 वर्षो से काबिज है, जिसके लिए उसे उक्त आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली होना बताया गया, जो कि गलत है। ग्राम बेडा की आबादी लगभग 9900 है व ग्राम में पहले से ही लगभग 18 बीघा भूमि शमशान के रूप में दर्ज है। उक्त प्रस्ताव में खसरा नं0 1799 रकबा 0.11 हैक्टेयर किस्म गै0मु0पत्थर को भी प्रस्तावित किया गया था, यदि आवश्यकता होती तो यह अनुपयोगी भूमि शमशान के लिए दी जा सकती थी।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में जिला कलेक्टर पाली ने अपने पत्र दिनांक 5.11.19 में उपखण्ड अधिकारी बाली को यह लिखा कि पूर्व में 18 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के बावजूद उक्त प्रस्ताव का क्या औचित्य है। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रेषित टिप्पणी/रिपोर्ट में प्रस्तावित भूमि मौके पर शमशान के रूप में ही उपयोग में ली जा रही है, बताया गया, जबकि पूर्व में इसे खाली होना व अतिक्रमण नही होना बताया गया था। इस प्रकार उक्त आवंटन झूठे तथ्य अंकित कर करवाया गया है। अपीलांट भूमिहीन गरीब किसान है, जिसके पास अन्य कोई भूमि नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

अपीलांट के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं0 3 के साथ शपथ पत्र कपुराराम व फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गये।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार का अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि सम्मतः है, तथा उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत बेडा के प्रस्ताव पर तहसीलदार बाली की जांच के उपरांत की गई है। ग्राम पंचायत बेडा की बैठक दिनांक 20.5.19 के प्रस्ताव 03 में सर्व सहमति से निर्णय लिया जाकर

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पूर्व प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 15.10.19 के कम में जिला कलेक्टर पाली के पत्र दिनांक 5.11.19 में उल्लेखित 2 बिन्दुओं की टिप्पणी सहित उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा बाद कमी–पूर्ति के अपने पत्र दिनांक 19.5.2020 द्वारा पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जिस पर प्रस्तावित भूमि की किस्म परिवर्तन के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरांत जिला कलेक्टर पाली द्वारा प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित कर उक्त भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करते हुए ग्राम पंचायत बेडा को आवंटित की गई है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलांट खारीज करने का आग्रह किया गया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके सलग्न दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी बाली के पत्रांकः 1507 दिनांक 15.10.2019 द्वारा ग्राम बेडा चक 1 तहसील बाली के खसरा नम्बर 1978 रकबा 0.60 बीघा, किस्म बारानी दोयम भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। उक्त प्रस्ताव के संलग्न ग्राम पंचायत के पत्रांक 130 दिनांक 20.5.19 में उक्त नहरी दोयम भूमि के साथ अन्य भूमि खसरा नं0 1799 रकबा 0.11 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन पत्थर भी प्रस्तावित की गई थी। जिस पर जिला कलेक्टर पाली के पत्र कमांक 3517 दिनांक 5.11.19 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली को निम्नलिखित बिन्दुओं की कमी–पूर्ति कर प्रस्ताव भिजवाने की अपेक्षा की गई :–

1 पूर्व में लगभग 18 बीघा भूमि शमशान के रूप में दर्ज होने के बावजूद प्रस्ताव का क्या औचित्य है ? बाबत टिप्पणी।

2. प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत जमाबंदी में किस्म पृथक–पृथक दर्ज है। इस बाबत स्थिति स्पष्ट नही है।

उक्त कम में उपखण्ड अधिकारी बाली के पत्रांकः 700 दिनांक 19.05.2020 के द्वारा बाद कमी–पूर्ति एवं बिन्दुवार रिपोर्ट, जमाबंदी मय नवीनतम चैक लिस्ट के साथ प्रस्तावित भूमि आवंटन करने हेतु अपनी अनुशंषा सहित प्रस्ताव भिजवाया गया। उक्त प्रस्ताव के बिन्दु सं0 1 में प्रस्ताव भिजवाने के कारण में यह अंकित

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

किया कि ''प्रस्तावित भूमि वर्तमान में मौके पर शमशान के रूप में उपयोग में ली जा रही है, जिसकी किस्म नहरी दोयम दर्ज है।'' इसके साथ नवीनतम जमाबंदी संवत् 2076–79 की प्रति प्रेषित की गई, जिसके कॉलम सं0 4 (काश्तकार का नाम, पत्ता तथा कृषिकाल विवरण) में काबिल काश्त भूमि पुरानी पड़त दर्ज बतलायी गई है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में खसरा परिवर्तनशी संवत् 2041 से 2047 वर्ष 1986–87, 1990–91 में खसरा नम्बर 1978 किस्म नहरी दोयम, काश्तकार भूरा पुत्र चेला कोम कुम्हार, सा0 देह दर्ज है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा फार्म नं0 3 के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र एवं फोटोग्राफ के अनुसार मौके पर उक्त भूमि कृषि कार्यो में प्रयुक्त है।

इसके अलावा यह भी प्रकट है ग्राम बेडा की जनसंख्या 9900 के विरूद्ध पूर्व में लगभग 18 बीघा भूमि शमशान के रूप में दर्ज है तथा प्रस्ताव में अन्य खसरे की भूमि खसरा नं0 1799 रकबा 0.11 है0 किस्म गै0मु0 पत्थर भी प्रस्तावित की गई थी। तो ऐसी स्थिति में विद्वान जिला कलेक्टर पाली द्वारा इन तथ्यों पर गौर किए बिना मात्र अपने अधीनस्थ कार्यालयों की टिप्पणी/रिपोर्ट के आधार पर सिंचित नहरी दोयम भूमि को शमशान के रूप में आरक्षित किया जाना किसी भी सूरत में उचित प्रतीत नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश क्रमांकः 5008 दिनांक 08.10.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलेक्टर पाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के भूमिहीन होने संबंधी प्रकट किए गये तथ्य की जांच कर, यदि वह उक्त भूमि आवंटन की पात्रता रखता हो तो उसे नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही करावे।

निर्णय आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

30/12/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

कार्यालय डिविजनल कमिश्नर
सत्यमेव जयते
जोधपुर